संख्या-388/2020/2563/22-2-2019-17(1108)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 सितम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलजारी पुत्र श्री दीनदयाल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-06-08-2019 दिनांक 06-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलजारी पुत्र श्री दीनदयाल, ग्राम-कोटखोरवा, थाना-फरधान, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.1988 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-195/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 13.12.1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2018 तक 01 वर्ष 10 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 00 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी गुलजारी (बन्दी संख्या-63/2017) पुत्र श्री दीनदयाल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-388/2020/2563(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, लखीमपुर खीरी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in